न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—07/2020

सुखवन्त सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 एपीडी तसहील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर ——— **प्रार्थी**

बनाम्

1. हरजीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ए पी एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. रणजीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 22, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. शाहेब शमीर शेष निवासी रूम नं. 304 अलफतेह अपार्टमेंट नया नगर, एच डी एफ सी बैंक जबल रोड़, पूर्व मीरा रोड, वेस्ट ठाणे (महाराष्ट्र)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अधिवक्ता—

1. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट — प्रार्थी की और से
2. श्री जुल्फकार खान एडवोकेट — अप्रार्थी सं.—1से3 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक 23.01.23**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि वाके चक 28 ए पी डी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 28, पत्थर संख्या 320/411 का किला नम्बर 23, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 0.759 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के भाई गुरदीप सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के भाई गुरदीप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। विवादित भूमि स्व. गुरदीप सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। चूंकि गुरदीप सिंह अपने जीवनकाल में प्रार्थी के पास रहता ही था तथा प्रार्थी ही गुरदीप सिंह का की सार—संभाल करता था इसलिए प्रार्थी के भाई गरुदीप सिंह के जीवनकाल से ही प्रार्थी उसके साथ विादित भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रही है इसी सेवा चाकरी एवं स्नेह तथा प्रेमवश प्रार्थी के भाई ने अपने जीवनकाल में ही अपनी अंतिम इच्छा स्वरूप अपनी उक्त भूमि की अपने जीवनकाल में ही व्यवस्था कर दी ताकि उसके मरने के बाद उसकी उक्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हो और प्रार्थी के भाई ने अपने पूर्ण होश हवाश स्वेच्छया एवं अन्तिम इच्छा अनुरूप स्वस्थचित रहते अपनी उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 26.12.2017 को बरोबरू गवाहान निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया। प्रार्थी के भाई गुरदीप सिंह का देहान्त होने पर वसीयत प्रभाव में आ चुकी है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उसका हर प्रकार से उपयोग, उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि के किला नं. 22, 23 पर साथी की ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा है तथा वसीयत दिनांक 26.12.2017 के आधार पर गुरदीप सिंह के देहान्त के उपरांत उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार कृषक बन चुका है और समस्त प्रकार के हक व अधिकार प्रार्थी में निहित हो चुके हैं। गुरदीप सिंह के देहान्त के उपरांत प्रार्थी ने उक्त वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए दिनांक 26.02.2020 को एक प्रार्थना—पत्र तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.02 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 03.06.2020 को जांच कर रिपोर्ट दी कि उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त वसीयत नामान्तरण प्रकरण संख्या 05/2020 विचाराधीन है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी के भाई हैं जिन्हें गुरदीप सिंह द्वारा की गयी उक्त वसीयत का पूर्ण ज्ञान है लेकिन उसके बाद भी अब अप्रार्थी सं. 1 से 3 मिलकर पिछले कई दिनों से विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने के प्रयासरत हैं तथा अप्रार्थी सं. 3 अपने आपको गुरदीप सिंह को वारिस होना कहकर विधिविरूद्ध तरीके से उक्त भूमि को हथियाने को प्रयासरत है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी इसी कुचेष्ठा में अप्रार्थी सं. 3 के कहने में आकर दिनांक 05.12.2020 को बिना विधिक अधिकार के प्रार्थी के कब्जा काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि पर आकर प्रार्थी की काश्त में व्यवधान पैदा करने लगे तथा प्रार्थी को धमकियाँ देने लगे कि हम शीघ्र ही विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करेगें व आगे से विवादित भूमि को काश्त करेगें। यदि अप्रार्थी सं. 1 सें 3 अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए प्रार्थी द्वारा विवादित कृषि भूमि पर अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना–पत्र पेश है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध असथाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे––– आदि–आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–01 से 03 की तरफ से अधिवक्ता श्री जुल्फकार खान ने वकालतनामा पेश कर उपस्थित आए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गुरदीप सिंह को जीवनकाल में प्रार्थी के साथ रहना, गुरदीप सिंह की सार–संभाल करना, काश्त करना, सेवा चाकरी करना, दिनांक 26.12.2017 को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत करना आदि सभी तथ्य गलत, झूठे, मनगढ़न्त व निराधार हैं। ना तो स्व. गुरदीप सिंह ने प्रार्थी के हक में दिनांक 26.12.2017 को वसीयत की, ना ही गुरदीप सिंह के साथ प्रार्थी काश्त करता था, ना ही प्रार्थी का गुरदीप सिंह के नाम की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है, ना ही किला नं. 22, 23 की बट पर मौके पर प्रार्थी की ढाणी बनी है ना ही बिना किसी विधिक अधिकार के गुरदीप सिंह के नाम की मी भूमि को प्रार्थी अपने हक में अधिकारों की घोषणा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने गुरदीप सिंह की नाम की फर्जी व कूटरचित वसीयत अपने हक में तैयार करके इस फर्जी वा कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रार्थना–पत्र तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ के समक्ष उक्त जमीन साजिशाना तौर पर अपने नाम कररवाने हेतु पेश किया जिसमें तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज करके दिनांक 03.06.2020 को हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन प्रार्थी सुखवन्त सिंह ने षडयंत्रीय व साजिशाना योजना अनुसार हल्का पटवारी से गलत रिपोर्ट फर्द मौका तैयार करवायी कि जमीन पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इस तथाकथित फर्जी वा कूटरचित वसीयत के आधार पर वसीयत प्रकरण संख्या 05/2020 का इल्म होने ही स्व. गुरदीप सिंह के वारिसान प्रकरण में जरिये तहसीलदार हाजिर आये व प्रकरण में अपना पक्ष रखा जिसके बाद सुनवाई तहसीलदार, अनूपगढ़ ने अपना निर्णय दिनांक 10.02.2021 के मुताबिक वसीयत की सत्यता संदेहास्पद मानते हुए वा वसीयत निर्विवाद नहीं होने की सूरत में वसीयत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया वा मूल वसीयत को फौजदारी प्रकरण एफ.आई.आर. संख्या 563/2020 पुलिस थाना अनूपगढ अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी आई.पी.सी. में विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर से जांच करवायी करवाई [illegible] वसीयत दिनांक 26.12.2017 पर किये गए गुरदीप सिंह के हस्ताक्षर कूटरचित [illegible] हैं जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थी सुखवन्त सिंह वगैरह मुलजिमान [illegible] कर न्यायालय में पेश किया जिन्हें न्यायालय में बाद सुनवाई [illegible] उसके बाद प्रार्थी सुखवन्त सिंह वगैरह माननीय उच्च न्यायालय से रिहा हुए जिसका फौज[illegible] मुकद्मा जैरकार है जिससे यह स्पष्ट साबित हो गया है कि प्रार्थी ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट गलत करवायी है जिसका कोई औचित्य नहीं रहा है। अप्रार्थी सं. 3, स्वर्गीय गुरदीप सिंह का पुत्र है वा कानूनी जायज वारिस है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.12.2020 को कब्जा करना, व्यवधान पैदा करना, धमकियाँ देना, बेदखल करना आदि तथ्य झूठे वा निराधार है। प्रार्थी को भूमि के संबंध में कोई हक व

अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने गलत तथ्य, गलत पटवारी हल्का रिपोर्ट, निराधार तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थी, विरूद्ध अप्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। स्व. गुरदीप सिंह के नाम की विवादित भूमि की नामान्तरण की कार्यवाही रूकवाने बाबत प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। उक्त जमीन पर पहले अप्रार्थी के पिता व उनके देहान्त के बाद हम वारिसानों का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें हमारे जन्म से ही हमारा हक निहित है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अप्रार्थी के पिता गुरदीप सिंह उर्फ शमीर शेख जन्म से ही जटसिख (हिन्दु धर्म) से पैदा हुए थे, उसके बाद अप्रार्थी के पिता राजस्थान से महाराष्ट्र आ गये वा महाराष्ट्र आने के बाद अप्रार्थी के पिता ने सिक्ख जाति से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया वा हमारी माता सईदा समीर शेख से शादी कर ली। अप्रार्थी के पिता गुरदीप सिंह उर्फ समीर शेख के हम हमारी माता व शदब समीर शेख भाई वा मैं स्वयं शोहेब समीर शेखा, हीना समीर शेख, नर्सिंग जावे शेख वारिसान हैं। अप्रार्थी के चाचा ने अपने साला राजा सिंह वगैरहा के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर हमारे साथ धोखाधड़ी व हेराफेरी से हमारी उक्त जमीन हड़प करने की नीयत से फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार की है व फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। सुखवन्त सिंह की फर्जकारी का पता चला तो मेरे दूसरे चाचा के फोन से मैंने सुखवन्त सिंह से सम्पर्क किया वा दूसरे चाचा हरजीत सिंह वा धर्मवीर सिंह वा वारिसान के मौतबिराने ने भी दिनांक 1.10.2020 को सुखवन्त सिंह से मिलकर हमारे गांव 28 एपीडी (ए) में कहा कि आपने यह फर्जकारी क्यों की तो सुखवन्त सिंह ने सभी को एलानिया कहा कि मैंने तो धोखाधडद्यी से जमीन हड़प करने के लिए वसीयत तैयार की है वा जमीन अपने नाम करवा लूगॉ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी के भाई ने अपने पूर्ण होश हवास स्वेच्छया एवं अन्तिम इच्छा अनुरूप स्वस्थचित रहते अपनी उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 26.12.2017 को बरोबरू गवाहान निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया। प्रार्थी के भाई गुरदीप सिंह का देहान्त होने पर उक्त वसीयत प्रभाव में आ चुकी है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उसका हर प्रकार से उपयोग, उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि के किला नं.–22, 23 की बट पर प्रार्थी की ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा है तथा वसीयत दिनांक 26.12.2017 के आधार पर गुरदीप सिंह के देहान्त के उपरांत उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार कृषक बन चुका है और समस्त प्रकार के हक व अधिकार प्रार्थी में निहित हो चुके हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 बिना विधिक अधिकार के विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू हैं। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि–ना तो स्व. गुरदीप सिंह ने प्रार्थी के हक में दिनांक 26.12.2017 को वसीयत की और ना ही वसीयत पर गुरदीप सिंह के हस्ताक्षर है।। वसीयत फर्जी वा कूटरचित है। फौजदारी प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर से एफएसएल जांच में वसीयत दिनांक 26.12.2017 पर किए गए गुरदीप सिंह के हस्ताक्षर कूटरचित फर्जी पाये गए हैं। फौजदारी प्रकरण में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। ना ही गुरदीप सिंह के साथ प्रार्थी काश्त करता था, ना ही प्रार्थी का गुरदीप सिंह के नाम की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है, ना ही किला नं. 22, 23 की बट पर मौके पर प्रार्थी की ढाणी बनी है। उक्त जमीन पर पहले अप्रार्थी के पिता व उनके देहान्त के बाद हम वारिसानों का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.02 15:44:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

धारा 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है—

1. प्रथम दृष्टया प्रकरणः—प्रश्नगत भूमि गुरदीप सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज है जिसका राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में उपलब्ध है और गुरदीप सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। गुरदीप सिंह के देहान्त के उपरांत प्रार्थी द्वारा वसीयत दिनांक 26.12.2017 के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है, इस वसीयत के संबंध में दर्ज मुकदमा की केस डायरी में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में वर्णित किया है कि दिनांक 26.12.2017 पर गुरदीप सिंह के हस्ताक्षर एफ.एस.एल. जांच में फर्जी पाए गए हैं जिसमें प्रार्थी व वसीयत के गवाहान गिरफ्तार किए गए। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय अपर सैशन न्यायालय से अस्वीकार हुआ है व प्रार्थी के विरूद्ध माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में फौजदारी प्रकरण भी जैरकार है एवं वसीयत के आधार पर नामान्तरण का आवेदन तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ से दिनांक 10.02.2021 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध करने में असफल रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

2. सुविधा का संतुलनः— जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया, जिससे उनके प्रकरण को बल मिलता हो। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

3. अपूर्णीय क्षतिः— प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं.–01 के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **23.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रियंका तलानिया
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.02 15:44:25 IST
Reason: SelfAttested